

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

फार्म सं० 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129


दा.खा.सि.वाद सं० 121R15 वर्ष 03-04 धारा

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

प्रयाग सिंह एवं अन्य

मनुखर सिंह

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
15-09-09	<p>यह आवेदन प्रयाग सिंह एवं अन्य पदुमन सिंह, के द्वारा दाखिल स्वारिज अपील वाद संख्या-121R15/03-04 में दिनांक-7-7-09 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>P/u on 22.9.09</p>  <p>15-9-09</p>	04-10-09
22-09-09	<p>अपीलकर्ता अनुपस्थित है। उपायुक्त अन्य कार्य में व्यस्त है।</p> <p>दिनांक - 16-10-09 को रूप।</p> <p>उप-समाह्वी</p>	01-10-09

आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की तारीख कार्रवाई की तिथि सहित Action taken on order with date
1	2	3
01-07-20	<p>अमिलख उपस्थापित) सरकार के अधिव राजस्व निबंधन एवं भूमि अधिार विभाग कार्यालय रांची के पत्रांक 332/20 दिनांक 24.06.20 के अंतर्गत प्रेषित है कि The Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुवार्डि करण का अधिकार मात्र collector को है न कि Additional collector अथवा Deputy collector को है</p> <p>अतः उक्त निम्न) धारा के मातोक में अधिव सुवार्डि हेतु अमिलख उपस्थापित) सुंठी के मातोक में एकांकित करें।</p> <p>अमिलख उपस्थापित) अमिलख अधिव समाहर्ता सुंठी के मातोक में एकांकित होकर प्राप्त है</p> <p>अमिलख पर अधिव कार्यालय हेतु वार पंजी में दर्ज कर पत्रकारों को सूचना निर्गत करें।</p> <p>अमिलख दिनांक को रखें।</p>	<p>1.7.2020</p> <p>अधिव समाहर्ता सुंठी</p>